



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15324

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या- 706/2026

जगवार्ता देवी

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

रक्षा मंत्रालय सचिव भारत सरकार एवं अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : मोहम्मद समीउज्जमान खान, सीमा श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., मनु वरधाना

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एम.एस. खान और प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत कि उसे रेलवे में एक उपयुक्त पद के लिए अनुकंपा नियुक्ति दी जानी है।
3. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आधार पर एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि वर्तमान रिट याचिका इस साधारण कारण से सुनवाई योग्य नहीं हो सकती है कि रिट याचिकाकर्ता के पास प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 19 के तहत मूल आवेदन दायर करते समय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संपर्क करने के लिए एक वैकल्पिक और प्रभावी उपाय है। वह एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ: एआईआर 1997 सुप्रीम कोर्ट 1125 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना चाहता है।



4. श्री एम.एस. खान, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उक्त कानूनी स्थिति पर विवाद नहीं कर सके, हालांकि, उनके अनुसार ट्रिब्यूनल को मूल आवेदन पर फैसला करने का निर्देश जारी किया जाए, जिसे रिट याचिकाकर्ता द्वारा सबसे अधिक तेजी से पसंद किया जाएगा।

5. तदनुसार, हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया जाता है, वर्तमान रिट याचिका का निपटारा कर दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19 के तहत निहित प्रावधानों का सहारा लेने के लिए खुला छोड़ दिया गया है, जबकि मामले पर अधिकार क्षेत्र वाले न्यायाधिकरण के समक्ष एक मूल आवेदन को प्राथमिकता दी गई है।

21 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)